Date – 4 May 2022

अटल इनोवेशन मिशन

ATAL INNOVATION MISSION

- अटल इनोवेशन मिशन ने 'अटल न्यू इंडिया चैलेंज' (ANIC 0) के दूसरे संस्करण के पहले चरण का शुभारंभ किया।
- लोगों के लिए प्रासंगिक होने के लिए नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का आह्वान करने के लिए एएनआईसी 0 को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज:

- अटल न्यू इंडिया चैलेंज अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों की तलाश, चयन, समर्थन और बढ़ावा देना है।

Yojna IAS

- एएनआईसी प्रोटोटाइप चरण में नवाचारों के आग्रह के साथ 12-18 महीनों के दौरान व्यावसायीकरण चरण में चयनित स्टार्टअप का समर्थन करता है।

दृष्टिकोण:

- मौजूदा प्रौद्योगिकियों के आधार पर उत्पादों का निर्माण करके राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता (उत्पादन) की समस्याओं को हल करना।
- भारत के संदर्भ में नए समाधान, बाजार और शुरुआती ग्राहक (व्यवसायीकरण) खोजने में मदद करना।

उद्देश्य:

- भारत के सतत विकास और विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आवास, ऊर्जा, गतिशीलता, अंतरिक्ष आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचारों को प्रोत्साहित करना।
- 'मौत की व्यावसायीकरण घाटी' (अनुसंधान और व्यावसायीकरण के बीच का अंतर) की पहचान के साथ-साथ परीक्षण, पायलटिंग और बाजार निर्माण के लिए संसाधनों तक पहुंच से जुड़े जोखिमों पर नवप्रवर्तनकर्ताओं का समर्थन करना।

ANIC 1.0:

- एएनआईसी 0 ने एक ओपन इनोवेशन चैलेंज फॉर्मेट बनाया जहां चैलेंज स्टेटमेंट सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किए गए और आवेदनों के लिए कॉल किए गए।
- स्टार्टअप विजेताओं/व्यक्तिगत नवोन्मेषकों को 1 करोड़ रुपये तक की किस्त आधारित सहायता अनुदान और एआईएम के नवोन्मेष नेटवर्क के माध्यम से सहायता।

ANIC 2.0:

- एएनआईसी 0 का पहला चरण ई-गतिशीलता, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, चिकित्सा उपकरण और सामग्री, अपशिष्ट प्रबंधन और कृषि सहित 7 क्षेत्रों में 18 चुनौतियों का समाधान करेगा।

Yojna IAS

अटल इनोवेशन मिशन (AIM):

- एआईएम देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है।
- इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करना, विभिन्न हितधारकों को सहयोग के लिए मंच और अवसर प्रदान करना, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी के लिए एक छत्र / अभिनव भूमिका बनाना है, छाता/अम्ब्रेला संरचना विकसित करने के लिए।

प्रमुख पहल:

- **अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला**: इसके माध्यम से देश के स्कूलों में छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनका मानसिक विकास किया जाना है|
- **अटल इनक्यूबेशन सेंटर**: ये विश्व स्तर के स्टार्टअप को बढ़ावा देने और इनक्यूबेटर मॉडल में एक नया आयाम जोड़ने के लिए स्थापित किए गए हैं।
- **अटल न्यू इंडिया की चुनौतियां**: उत्पाद नवाचारों को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की जरूरतों के अनुरूप बनाना।
- **मेंटर इंडिया अभियान**: मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से बनाया गया एक राष्ट्रीय संरक्षक नेटवर्क।
- **अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर**: टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित देश के असुरक्षित/संरक्षित क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नवाचार और विचारों को प्रोत्साहित करना।
- **लघु उद्यमों के लिए अटल अनुसंधान और नवाचार (एआरआईएसई)**: एमएसएमई उद्योग में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

Swadeep Kumar

Join IAS

स्लॉथ बियर

- हाल ही में, झारखंड के एक गांव से वन अधिकारियों की मदद से पीपुल फॉर एनिमल्स ग्रुप (PFA) द्वारा दो स्लॉथ बियर को बचाया गया।
- द पीपुल फॉर एनिमल्स मेनका गांधी द्वारा स्थापित एक पशु कल्याण संगठन है।
- PFA को मदारियों द्वारा सूचित किया गया था। मदारी एक खानाबदोश समुदाय है जो नुक्कड़ नाटकों में जानवरों का उपयोग करके अपना जीवन यापन करता है।

स्लॉथ बियर:

- स्लॉथ बियर मुख्य रूप से श्रीलंका, भारत, भूटान और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- स्लॉथ बियर मुख्य रूप से दीमक और चींटियों को खाते हैं और, अन्य भालू प्रजातियों के विपरीत, वे नियमित रूप से अपने शावकों को अपनी पीठ पर बिठाते हैं।
- इन्हें शहद खाने का भी बहुत शौक होता है, इसलिए इन्हें 'हनी बियर' भी कहा जाता है।
- स्लॉथ बियर हाइबरनेट नहीं करते हैं, यानी वे शीतनिद्रा की स्थिति में नहीं जाते हैं।
- **वैज्ञानिक नाम**: मेलर्सस उर्सिनस (मेलुरसस उर्सिनस)।
- **पर्यावास**: इसे हनी बियर और हिंदी बियर भी कहा जाता है, यह उर्सिडे परिवार का हिस्सा है। वे भारत और श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

Yojna IAS

सुरक्षा की स्थिति:

- **IUCN लाल सूची:** संवेदनशील
- **CITES:** परिशिष्ट-I
- **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I

संकट:

- पर्यावास का नुकसान, शरीर के अंगों का अवैध शिकार सुस्त भालू प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चश्मा या प्रदर्शनों में उपयोग के लिए सुस्त भालू को पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा सुस्त भालू का उनके आक्रामक व्यवहार और फसलों को नुकसान के लिए शिकार किया जाता है।

Yojna IAS

Swadeep Kumar

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 वर्ष

- 1 मई 2022 को 'दिल्ली विश्वविद्यालय' की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए।

स्थापना:

- 'दिल्ली विश्वविद्यालय' की स्थापना वर्ष 1922 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत की विधायिका – केंद्रीय विधान सभा द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई थी।
- दिल्ली विश्वविद्यालय में मूल रूप से तीन कॉलेज शामिल थे – सेंट स्टीफंस कॉलेज, जिसे 'कैम्ब्रिज मिशन टू दिल्ली' नामक एक मिशनरी पहल द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित किया गया था; हिंदू कॉलेज, जिसकी स्थापना वर्ष 1899 में हुई थी, और रामजस कॉलेज, जिसकी स्थापना 14 मई 1917 को एक प्रसिद्ध शिक्षाविद् और परोपकारी राय केदार नाथ ने की थी।
- पहले ये तीनों कॉलेज 'पंजाब यूनिवर्सिटी' से संबद्ध थे।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में दिल्ली विश्वविद्यालय की भूमिका:

- वर्ष 1933 में पूर्ववर्ती 'वाइसरेगल लॉज' – जहां दो साल पहले 'गांधी-इरविन पैक्ट' पर हस्ताक्षर किए गए थे – विश्वविद्यालय की संपत्ति का हिस्सा बन गया। औपनिवेशिक युग की इस इमारत में अब कुलपति का कार्यालय है।
- हालांकि 'वाइसरेगल लॉज' का निर्माण 1902 में हुआ था, लेकिन इससे पहले इस जगह पर 'हंटिंग लॉज' हुआ करता था और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान, ब्रिटिश अधिकारी भाग गए और इस 'हंटिंग लॉज' में छिप गए।
- 8 अप्रैल, 1929 के सेंट्रल असेंबली बम विस्फोटों के बाद, 'भगत सिंह' को वाइसरीगल लॉज में कैद कर दिया गया और उसी इमारत में मुकदमा चलाया गया।
- जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश सरकार से दूर रह रहे थे, तब उन्हें 'रामजस कॉलेज' (विश्वविद्यालय का एक कॉलेज) के छात्रों ने छुपाया था।
- 'हिंदू कॉलेज' (विश्वविद्यालय का एक अन्य कॉलेज) के छात्र 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' में सक्रिय रूप से शामिल थे।
- पूर्व कुलपति दिनेश सिंह के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना एक चार्टर है, जिसे इसके तत्कालीन (1938-1950) कुलपति, 'मौरिस ग्वायर' ने तैयार किया था। मौरिस ग्वायर 1937 से 1943 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे।

Yojna IAS

- भारत के उपराष्ट्रपति विश्वविद्यालय के 'कुलपति' के रूप में कार्य करते हैं।
- इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा एक प्रतिष्ठित संस्थान (आईओई) के रूप में मान्यता दी गई है।

Swadeep Kumar

विचाराधीन कैदी: भारत

- हाल ही में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आपराधिक मामलों में त्वरित निर्णय नहीं लेने के लिए जेल में बंद 3.5 लाख विचाराधीन कैदियों की जल्द रिहाई की वकालत की और राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह किया। अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान पर ध्यान दें।
- प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के 39वें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
- भारत की जेलों में 76 प्रतिशत कैदी 'विचाराधीन कैदी' हैं, और यह संख्या 25 वर्षों में सबसे अधिक है। ये गरीब, दलित और गरीबी से जूझ रहे लोग हैं, जो सुरक्षा राशि का भुगतान करने में असमर्थ हैं। ये लोग सालों तक जेलों में सड़ते रहते हैं और इनके मामलों की सुनवाई नहीं होती है।

न्याय मिलने में देरी के कारण:

- अत्यधिक बोझ वाली न्यायपालिका न्याय में देरी का एक प्रमुख कारण है।
- पुलिस और जेल अधिकारी अक्सर अपनी भूमिका निभाने में विफल रहते हैं, जिससे मुकदमे में देरी होती है।

- विचाराधीन अधिकांश मामले वंचित सामाजिक समूहों के हैं – कई सर्वेक्षणों में पाया गया है कि विचाराधीन मामलों में से **50-55%** अल्पसंख्यक समुदायों और दबे-कुचले वर्गों से संबंधित हैं।
- संसाधनों की कमी के कारण वह अपने लिए वकील नहीं ढूंढ पा रहा है, और पुलिस और जेल अधिकारियों का रवैया उसके प्रति शत्रुतापूर्ण है, और वे शायद ही कभी उसकी मदद करते हैं।

सुझाव:

- कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें जेलों में उचित आवास और सुविधाएं दी जाएं।
- प्रत्येक जिले में एक 'अंडर ट्रायल कैदी रिव्यू कमेटी' गठित की जानी चाहिए जिसमें जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक शामिल हों। प्रत्येक जिले के लिए इस तरह के एक पैनल के गठन की जिम्मेदारी 'राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण' को सौंपी जानी चाहिए, जो 'राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण' के समन्वय से काम कर रही है।
- राज्यों में 'कानूनी सेवा प्राधिकरणों' को कैदियों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए – विशेष रूप से उनके 'स्वतंत्रता के अधिकार' से संबंधित प्रावधानों के बारे में।
- हालांकि, इस समस्या का वास्तविक समाधान न केवल 'जमानत पर बंदियों की शीघ्र रिहाई' में है, बल्कि मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाना है।

मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां:

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में, तीव्र **COVID-19** महामारी की दूसरी अनियंत्रित वृद्धि को देखते हुए, 'योग्य कैदियों' को अंतरिम रिहाई का आदेश दिया।

मुख्य टिप्पणियाँ:

- शीर्ष अदालत ने 'अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य **(2014)**' मामले में मानदंडों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मामले में, पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तारी नहीं करने के लिए कहा गया था-खासकर सात साल से कम कारावास की सजा वाले मामलों में।
- देश के सभी जिलों में अधिकारियों को 'दंड प्रक्रिया संहिता' (सीआरपीसी) की धारा **436**ए को प्रभावी करने के लिए कहा गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **436**ए के तहत,

Yojna IAS

विचाराधीन कैदी जिन्होंने किसी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जेल अवधि का आधा पूरा किया है, उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया जा सकता है।

- शीर्ष अदालत ने 'विधायिका' को जेलों की भीड़भाड़ से बचने के लिए 'दोषियों को रोकने' का प्रावधान करने पर विचार करने का सुझाव दिया था। 2019 में जेलों में कैदी दर बढ़कर 5% हो गई थी। इसके अलावा जेलों के रखरखाव के लिए भी भारी मात्रा में बजट की आवश्यकता होती है।

विचाराधीन कैदियों की संख्या:

- भारत में दुनिया में सबसे अधिक 'विचाराधीन कैदी' हैं, और 2016 के दौरान छह महीने से भी कम समय में कुल विचाराधीन कैदियों में से आधे से अधिक को हिरासत में लिया गया था।
- 2016 में जारी 'राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो' (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2016 के अंत में 4, 33,033 लोग भारत की जेलों में बंद थे, जिनमें से 68% विचाराधीन थे।
- यह सुझाव देता है कि रिमांड की सुनवाई के दौरान अनावश्यक गिरफ्तारी और अप्रभावी कानूनी सहायता के परिणामस्वरूप कुल जेल में बंद कैदियों में 'विचाराधीन कैदियों' का उच्च अनुपात हो सकता है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS